### न्यायालय : न्यायिक मजिस्टेट् प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (म०प्र०) (समक्ष : डी.एस.मण्डलोई)

<u>आपराधिक प्र.क.: 673 / 2014</u> संस्थित दि: 18 / 07 / 2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.)

### — — — — — — अभियोगी

#### विरुद

श्यामदास पिता छोटूदास, उम्र 25 साल, जाति पनिका, निवासी ग्राम बोदा थाना गढ़ी, जिला बालाघाट (म.प्र.) ————————— आरोपी

# –<u>ः: उर्पापण – आदेश ः:</u>–

# (आज दिनांक 08/09/2014 को उपार्पित किया गया)

- (01) इस आदेश द्वारा प्रकरण के उर्पापण पर विचार किया जा रहा है ।
- (02) 🔷 प्रकरण में आरोपी जमानत पर है ।
- (03) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी चिन्ताबाई ने आरक्षी केन्द्र गढ़ी में दिनांक 28.04.2014 को इस आशय की रिपोर्ट लिखाई कि वह दिनांक 26.04.2014 को रात्रि में खाना खाकर सोई थी। उसके घर के बाहर पैरा रखा था उसे गाय और उसके घर के पशु खा रहे थे तो वह बाहर निकली और टार्च जलाई और गाय, बैल पैरा खा रहे थे उन्हें हटााया और घर में आई तो घर के अन्दर श्याम मानिकपुरी खड़ा था। उसने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया और बलात्कार किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से आरक्षी केन्द्र गढ़ी में आरोपी के विरूद्ध अपराध कमांक 35/14 अन्तर्गत धारा 456, 376 भा.दं.वि. का मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार कर आवश्यक विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 456, 376, 357 के तहत यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
- (04) उपार्पण पर उभयपक्षों को सुना गया ।
- (05) प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी पर भारतीयद दण्ड संहिता की धारा 456, 376, 357 का अपराध परिलक्षित होता है। उक्त धाराएं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने से प्रकरण को माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय, बालाघाट के न्यायालय में उपार्पित किया जाता है।

आपराधिक प्र.क.: 739 / 2014

- (06) आरोपी को धारा 207 द०प्र०सं० के अनुसार अभियोग—पत्र की नकलें दी गई।,
- (07) उपार्पण की सूचना लोक अभियोजक, बालाघाट व मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी महोदय, बालाघाट को भेजी जावे ।
- (08) प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति अन्तिम प्रतिवेदन में दर्शाये अनुसार एफ.एस.एल सागर जांच हेतु भेजी गई है।
- (09) प्रकरण में आरोपी जमानत पर होने उसे माननीय महोदय के न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.09.2014 को ठीक पूर्वान्ह में 11.00 बजे उपस्थित रहने हेतु निर्देशित किया गया।

आदेश हस्ताक्षरित, दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया । आदेश मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया ।

(डी.एस.मण्डलोई) न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

(डी.एस.मण्डलोई) ाम श्रेणी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ाट बैहर, जिला बालाघाट